

# सामुदायिक देखभाल नधि

## Community Care Fund

गैर-सार्वजनिक आवास और गैर CSSA  
परिवारों के लिए आजीविका सब्सिडी

Living Subsidy for Non-Public Housing  
and Non-CSSA Households (2020)



आवेदन की अवधि  
Application Period

**2·7·2020 -  
30·11·2020**

चरणों द्वारा  
by phases



## पात्रता मापदंड



- प्राइवेट आवास व्यवस्था, औद्योगिक भवनों, वाणज्यिक भवनों या सामाजिक आवास व्यवस्था में करिए पर नविस मासकि आधार पर (या लंबे समय तक); या गृह मंत्रालय वभाग के सगिलटन हॉस्टल कार्यक्रम के तहत पेश किए जाने वाले बेड हॉस्टल या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए हॉस्टल के बेडस्पेस को अपराधियों को छोड़ दिया जाता है; या अस्थायी आवास या जहाजों में नविस करना; या बेघर
- व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायता प्राप्त नहीं करना; और हांगकांग में किसी भी संपत्तिका दावा नहीं।
- पछिले 3 महीनों में औसत मासकि घरेलू आय नरिदषिट सीमाओं से अधिकि नहीं होनी चाहिए; और नजि आवास, औद्योगिक भवनों, वाणज्यिक भवनों या सामाजिक आवास में करिए पर रहने वालों के लिए, पछिले 3 महीनों में भुगतान कया गया उनका औसत मासकि करिया नरिदषिट करिए की सीमा से अधिकि नहीं होना चाहिए। प्रासंगकि नरिदषिट आय और करिया सीमाएँ नमितानुसार हैं:

घरेलू आकार (व्यक्ति)	घरेलू आय की सीमा (\$)	घरेलू करिया सीमा (\$)(यद लागू हो)
1	15,100	7,550
2	22,000	11,000
3	26,800	13,400
4	33,500	16,750
5	36,900	18,450
6 या ऊपर	40,800	20,400

# सब्सिडी की राशि



1-व्यक्ति वाले घरों के लिए **\$4,500**

2-व्यक्ति वाले घरों के लिए **\$9,000**

3-व्यक्ति वाले घरों के लिए **\$12,500**

4-व्यक्ति वाले घरों के लिए **\$14,500**

5-व्यक्ति वाले घरों के लिए **\$15,500**

## आवेदन प्रक्रिया



- आवेदन घर के आकार के अनुसार चरणों द्वारा नयितरति किया जाता है। सभी योग्य परिवारों को कार्यक्रम में आवेदन फार्म (आवश्यक दस्तावेजों के साथ) या सेवा यूनटिं\* को मेल द्वारा जमा करना होगा।

2 जुलाई 2020 स : 1-व्यक्ति के घर

3 अगस्त 2020 स : 2-व्यक्ति के घर

1 सितंबर 2020 स : 3-व्यक्ति के घर

5 अक्टूबर 2020 स : 4-या-अधिक-व्यक्ति घर  
(यानी सभी घर)



# आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां



- आवेदक और सभी घरेलू सदस्यों के पहचान प्रमाण दस्तावेजों (यदि व्यक्तिगत तरीके से आवेदन जमा करना है, तो सेवा इकाइयों में व्यक्तिगत तरीके से मूल प्रतियां तैयार करना चुन सकता है)
- आवेदक और सभी घरेलू सदस्यों के पहचान प्रमाण दस्तावेजों (सेवा इकाइयों में व्यक्तिगत रूप से मूल प्रतियां तैयार करना चुन सकते हैं)
- छात्रावासों / आश्रयों में रहने का दस्तावेजी प्रमाण (यदि लागू हो)
- छात्रावासों / आश्रयों में रहने का दस्तावेजी प्रमाण (यदि लागू हो)

# आवेदन पत्र और कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी



- समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण कार्यालय में उपलब्ध है।, गृह मामलों के विभाग के सार्वजनिक पूछताछ सेवा केंद्र।, जातीय अल्पसंख्यकों के लिए सहायता सेवा केंद्र।, सेवा इकाइयों जो कार्यक्रम\*को कार्यान्वित करने में सहायता करती हैं\*, या सामुदायिक देखभाल कोष वेबसाइट पर



पूछताछ हॉटलाइन Enquiry Hotline  
2180 6666



वेबसाइट Website  
[www.communitycarefund.hk](http://www.communitycarefund.hk)